"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 481] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 4 सितम्बर 2014— भाद्र 13, शक 1936

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 03-02/2013/10-3/वन. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

अनुसूची-चार के कॉलम (2) में, शीर्षक "लेखापाल/सहायक ग्रेड-2" के अंतर्गत कॉलम (3) के सरल क्रमांक 2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"2. सहायक ग्रेड-2, जिन्होंने 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो और जो स्नातक हो तथा सीमित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण हो."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 03-02/2013/10-3/वन. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02-09-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 2nd September 2014

NOTIFICATION

No. F 03-02/2013/10-3/Forest. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Class-III (Clerical Cadre) Forest Service Recruitment Rules, 2012, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

For Serial number 2 of column (3) under Heading "Accountant/Assistant Grade-2" in column (2) of Schedule-IV, the following shall be substituted, namely :-

"2. Assistant Grade-2, who has completed 05 years regular service and is Graduate and has also passed Limited Departmental Examination."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.